

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ( )एफसीए/मुवस/2023/ 3407

दिनांक 05/06/23

निमित्त :

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)  
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 0.0435 ha. of Forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Barmer-Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No.F-8/90A/2013/15164) Chainage:157/766 to 157/786 At village-Barmer Gadan, Tehsil & District Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/APPROACH/146453/2021)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(20)वन/2022 दिनांक 07.03.2022 व श्रीमान का क्रमांक एफ.14(487/42)2021/एफसीए/प्रमुवसं/1100-1101 दिनांक 28.03.2022 एवं उप वन संरक्षक, बाडमेर का पत्रांक 4033 दिनांक 24-5-23

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(20)वन/2022 दिनांक 07.03.2022 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, बाडमेर ने प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

| क्र.सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें  | अनुपालना  |
|---------|---|---|
| 1       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 2       | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 4       | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।                               | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 5       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 6       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |

Signature valid

Digitally signed by S.R. Venkateswara

Murthy

Designation : Chief Conservator Of Forest

Date: 2023.06.02 16:30:37 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3965006



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।  |  |
| 7  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br><b>(प्रति संलग्न)</b>   |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br><b>(प्रति संलग्न)</b>   |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।  | वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर बाडमेर से एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।<br><b>(मूल प्रति संलग्न)</b>  |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।   | प्रदुषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। <b>(प्रति संलग्न)</b>   |
| 11 | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br><b>(प्रति संलग्न)</b>   |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 103600/- रु. दिनांक 21.03.2023 को ई-चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है। <b>(चालान की प्रति संलग्न)</b> |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशों के अनुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई | Net present value (NPV) वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 29,151/-रु. दिनांक 21.03.2023 को ई-चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है। <b>(चालान की प्रति संलग्न)</b>                                  |

**Signature valid**

Digitally signed by S.F.V.ankateswara Murthy  
Designation : Chief Conservator Of Forest  
Date: 2023.06.02 13:30:37 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3965006



|    |  |  |
|----|--|--|
|    | राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।  |  |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 15 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 16 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारीयों को स्वीकृत प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है (प्रति संलग्न) |

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की 2 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस. आर. वी. मूर्थी)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

क्रमांक एफ( )एफसीए/मुवस/2023/

दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन संरक्षक, बाडमेर।
2. प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर-342005।
3. श्री नीलमसिंह, जमादार कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि अनुपालना की दो प्रतियां व्यक्तिशः

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by S R Vankateswara  
Murthy  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.06.02 10:30:37 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3965006





## कार्यालय उप वन संरक्षक, बाडमेर



फोन/फैक्स नं.-02982-220442

E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ ( )तक./उवसं/2023-24/4033

दिनांक : 24.05.2023

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
जोधपुर

विषय : Diversion of 0.0435 ha. of Forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Barmer-Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No.F-8/90A/2013/15164) Chainage:157/766 to 157/786 At village-Barmer Gadan, Tehsil & District Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/APPROACH/146453/2021)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(20)वन/2022 दिनांक 07.03.2022 व अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14(487/42)2021/एफसीए/प्रमुवसं/1100-1101 दिनांक 28.03.2022

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(20)वन/2022 दिनांक 07.03.2022 द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण डायवर्जन ऑफ 0.0435 हैक्टर ऑफ फोरेस्ट लैंड इन फेवर ऑफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर Chainage:157/766 to 157/786 के खसरा नम्बर 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No.F-8/90A/2013/15164) ग्राम बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0435 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत जारी दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0435 ha. of Forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Relail Outlet on Barmer-Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No.F-8/90A/2013/15164) Chainage:157/766 to 157/786 At village-Barmer Gadan, Tehsil & District Barmer, Rajasthan. ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/APPROACH/146453/2021) में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की है। अतः इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर ली गई है जो श्रीमान जी को निम्नानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

| क्र.सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें  | अनुपालना  |
|---------|---|---|
| 1       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 2       | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |
| 4       | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।                              | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न) |

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Prakash  
Designation: Deputy Conservator Of  
Forests

Date: 2023.05.24 11:53:13 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 8593743



|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 6  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 7  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण, सैध्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।   | वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर बाडमेर से एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।<br>(मूल प्रति संलग्न)  |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैध्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल को अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।  | प्रदुषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)   |
| 11 | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्पडरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)  |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 103600/- रु. दिनांक 21.03.2023 को ई-चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न) |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई | Net present value (NPV) वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 29,151/-रु. दिनांक 21.03.2023 को ई-चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न)                                  |

RajKaj Ref No. : 3903243

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Prakash  
Bhadu  
Designation : Deputy Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.05.24 11:53:13 IST  
Reason: Approved



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।   |  |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।   | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्ण्डरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)   |
| 15 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।  | इस आशय का यूजर एजेन्सी से अप्ण्डरटेंकिंग प्राप्त कर लिया गया है।<br>(प्रति संलग्न)   |
| 16 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृत प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है (प्रति संलग्न) |

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर 3 सैट में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्न:-उपरोक्तानुसार**

भवदीय

(संजय प्रकाश भादू)  
उप वन संरक्षक  
बाडमेर

क्रमांक: एफ ( ) तक./उवसं/2023-24/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलक्टर बाडमेर।
3. सहायक वन संरक्षक बाडमेर।
4. प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर-342005।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाडमेर को दि जाकर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी स्तर में नहीं होने देना सुनिश्चित करावे।

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Prakash  
Bhadu  
Designation : Deputy Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.05.24 11:53:13 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3903243

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\3903243\_8855634806461591950.docx



सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
बाड़मेर**(Online Proposal No. FP/RJ/Approach/146453/2021)**

विषय :- Compliance Report of Diversion of **0.0435** ha of forest land in favour of Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार के पत्र संख्या 1(20)forest/2022 दिनांक 07.03.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

| क्र. सं. | शर्त   | पालना   |
|----------|--|---|
| 1.       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।  | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 2.       | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा  | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 3.       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।  | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 4.       | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।   | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 5.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 6.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 7.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 8.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। |
| 9.       | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।  | एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।<br>For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.   |

उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

Praveen Kumar of 2 | Page  
Chief Regional Manager-Retail

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।   | प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त होने ही संलग्न कर दिया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 11. | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 12. | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) वर्तमान मांग राशि 259 प्रति मानव दिवस की दर से आवश्यक धनराशि<br><b>CA (DFL) ₹. 1,03,600/-</b><br><b>UTR/REF NO. 428698129 DATED: 21-03-2023</b><br>के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। |
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। | यूजर एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:-<br><b>NPV ₹. 29,151/-</b><br><b>UTR/REF NO. 428698129 DATED: 21-03-2023</b><br>के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।                          |
| 14. | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।   | सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 15. | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।  | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 16. | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।   | जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।   |

  
प्रकाश प्रसाद  
रूप वन संरक्षक  
बारामे

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

  
Praveen Kumar  
Chief, Regional Manager-Retail

Name:  
Office Seal & Signature:  
Designation:





सर-सर  
ओवधि योजना

राजस्थान सरकार  
वन विभाग



क्रमांक: प. 1 (20) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 07 MAR 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-** Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village – Barmer Gadan Tehsil & District – Barmer(Rajasthan). (FP/RJ/Approach/146453/2021)

**संदर्भ:-**आपका पत्रांक एफ 14 (487/42)2021/एफसीए/प्रमुवस/420 दिनांक 25.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में एन. एच-68 (RHS) स्टोन के खसरा नम्बर 2684/2195 एवं 3147/2195 (पट्टा संख्या एफ 8/90ए/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786 ग्राम बाडमेर गादान, तहसील एवं जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0435 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village – Barmer Gadan Tehsil & District – Barmer(Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर-0141-2227762।

Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in)

Individual Approval/Diversion/IT - Savy Forest/Asst Documents FCA/Stage 1

Duly Constituted Attorney

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

सजय प्रकाश रा  
उप वन संरक्षक  
बाडमेर

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(*Handwritten Signature*)  
( बी. प्रवीण )  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
5. जिला कलेक्टर, बाडमेर।।
6. उप वन संरक्षक, बाडमेर।
7. उप प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर रिटेल क्षेत्रीय, भवगती की कोटी, डिजल रेश रोड, जोधपुर-342005
8. रक्षित पत्रावली।

(*Handwritten Signature*)  
( लखन सिंह )  
विशेषाधिकारी

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी परिसर, अजमेर, राजस्थान, जयपुर। दूरभाष संख्या- 0141-2227762  
Mail ID [ads\\_forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads_forest@rajasthan.gov.in)  
Principal Approval/Direction/IT - Save Forest/Bio Documents FCA/Stage 1

Duly Constituted Attorney

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

(*Handwritten Signature*)  
सजय प्रकाश भंडारी  
उप वन संरक्षक  
बाडमेर

**Condition No. 01**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  
Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail  
संजय प्रकाश भादु  
उप वन संरक्षक  
बारमेर

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jodhpur**

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

सजय प्रकाश भादु  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

सजय प्रकाश भादु  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Condition No. 04**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा “Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)” के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  
  
Prayeen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail  


**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021


**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

  
संजय प्रकाश भादुर  
वन वन सरक्षक  
नाइमेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

  
Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Condition No. 06**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021


**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jodhpur**

**Date:**

  
(सुरेश प्रकाश भारद्वाज)  
न्य वन संरक्षक  
साइमेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

  
Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**



**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

संजय प्रकाश भादू  
रूप वन संरक्षक  
बाड़मेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

## Condition No. 8

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

सजय प्रकाश भाग  
उप वन संरक्षक  
बारमेर

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**



FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of Rajasthan  
Office of the District Collector, Barmer

No F. 12(12)(1)/rev/2020/ 804

Dated: 25/2/2023

To WHOSOEVER IT May CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (,FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0435 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Regional Office Jodhpur (name of user agency) for Petrol Pump (purpose for diversion of forest land) in Barmer district falls within jurisdiction of Barmer Gadan Village(s) in Barmer tehsils.

It is further certified that .

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.0435 hectares of forest area (roadside plantation area) proposed for diversion. A copy of records of all consultations and Meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure I to annexure III
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-Dwellers who eligible under the FRA,
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion' A copy of certificate issued by the gram sabha of GP Barmer Gadan village(s) is enclosed as annexure I to annexure I
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace, only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (e) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls: As above.

सजय प्रकाश भादु  
रूप वन संरक्षक  
बाडमेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

25/2/23  
(LOK BANDHU)  
District Collector, Barmer  
(Lok Bandhu)  
DISTRICT COLLECTOR  
BARMER

**बैठक कार्यवाही विवरण**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8वीं/राज/6/22/2015/एफ सी/200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 14.02.2023 को श्री लोक बंधु, आई.एस. जिला कलेक्टर बाड़मेर की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति बाड़मेर की बैठक रखी गई, जिसमें इस कार्यालय में प्राप्त निम्न वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों को विचार विमर्श हेतु बैठक में रखा गया।

| क्र. सं. | नाम आवेदक  | अर्पित भूमि का विवरण |                        |                                   |              |
|----------|--|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|          |  | ग्राम का नाम         | खसरा संख्या            | प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा | प्रयोजन      |
| 1        | मुख्य महाप्रबन्धक                                | चाहरो की बस्ती       | 618/402                | 0.1662 हेक्टेयर                   | पेट्रोल पम्प |
| 2        | एचपीसीएल जोधपुर                                  | बाड़मेर गादान        | 2684/2195<br>3147/2195 | 0.0435 हेक्टेयर                   | पेट्रोल पम्प |
| 3        | मुख्य मण्डल खुदारा बिकी प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर | जसोतोगियों की दाणी   | 13                     | 0.1885 हेक्टेयर                   | पेट्रोल पम्प |

प्रस्तावित वन भूमि/वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने हेतु इस जिले के संबंधित ग्राम पंचायत की ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार बाड़मेर जिले के अधिनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 (नवीन संख्या 68) के किनारों की पट्टियों पर स्थित भूमि है जिसे राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(16)राज दिनांक 05.08.1978 से प्रतिबन्धित वन की श्रेणी में घोषित करते हुए पेड़, झाड़ियां, घास तथा अन्य वनस्पति उत्पादों को आरक्षित करते हुए काटने तथा हटाने, उखाड़ने को प्रतिबन्धित किया गया है तथा उक्त भूमि संबंधित खातेदारों के खातेदारी में ही दर्ज होने से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के प्रकरणों में इण्डियन रोड कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क सीमा में आने वाली भूमि संबंधित खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाई जा चुकी है। प्रस्तावित भूमि डीम्ड वन भूमि की श्रेणी में होने से तथा लीनीयर प्रोजेक्ट के अलावा आवश्यकता होने से फार्म न 2 में प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

संजय प्रकाश भादू  
रूप वन संरक्षक  
बाड़मेर

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बाड़मेर

Phone-02982-220292

EMAIL ID-pd-bar-ri@nic.in

प्रसांक-घ ( ) जिपबा/2022-23/860

दिनांक:- 10.12.2022

राजस्व शाखा,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
बाड़मेर।


विषय:- अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता)  
अधिनियम्,2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत।

प्रसंग:-पंचायत समिति बाड़मेर के पत्र क्रमांक 2933 दिनांक 21.10.2022 के सन्दर्भ में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र को संलग्न भेजकर लेख है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम्, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 19.10.2022 द्वारा दिनांक 02.10.2022 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा प्रस्ताव सं-02(प्रस्ताव पत्र संलग्न अनुसार) में खसरा सं. 2684/2195 व 3147/2195 रकबा 0.0495 हैक्टेयर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट के लिए आने व जाने के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व (2) के प्रावधानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है एवं अदिम जनजातिय समूह एवं परम्परागत वन निवासी प्रभावित नही हो रहा है।


ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम्, 2006 के तहत प्रमाण पत्र संलग्न कर मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न- ग्राम सभा प्रस्ताव प्रतिलिपि (प्रस्ताव सं.-02)

  
(ओमप्रकाश बिश्नोई)RAS  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, बाड़मेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

  
Poojeen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

  
ओमप्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

कमाक/राजस्व/2022/ 878

दिनांक- 05.08.2022

### उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 05.08.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बाड़मेर की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए:-

| क्र.स. | नाम सदस्यगण  | हस्ताक्षर |
|--------|--|-----------|
| 1      | श्रीमती पवन कंवर प्रधान पंचायत समिति बाड़मेर         | पवन       |
| 2      | श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर            | समदरसिंह  |
| 3      | श्री प्रेमसिंह तहसीलदार बाड़मेर                      | प्रेमसिंह |
| 4      | श्री सुरेश कविया विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाड़मेर | सुरेश     |
| 5      | क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग बाड़मेर                | अनिल      |
| 6      | श्रीमती गीतादेवी पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 15  | गीता      |

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को पत्रांक प.12(12)(1)राजस्व/2020/3378 दिनांक 28.04.2022 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम चाहरों की बस्ती के खसरा नंबर 618/402 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1662 हैक्टर एवं ग्राम बाड़मेर गादान के खसरा संख्या 2684/2195 व 3147/2195 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0435 हैक्टर प्रत्यावर्तन हेतु आवेदक उप महाप्रबन्धक एचपीसीएल जोधपुर को पैट्रोल पम्प हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रत्यावर्तन हेतु रखा गया।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चाहरों की बस्ती के खसरा नंबर 618/402 प्रस्तावित रकबा 0.1662 हैक्टर एवं ग्राम बाड़मेर गादान के खसरा संख्या 2684/2195 व 3147/2195 रकबा 0.0435 हैक्टर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंसा करती है।

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

संजय प्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

समदरसिंह भाटी  
05/08/22  
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

कार्यालय ग्राम पंचायत बाडमेर गाडान पं० हा० बाडमेर  
दिनांक 19/10/2022

प्रस्ताव पत्रिका

प्रस्ताव क्र० 02

दिनांक 02/10/2022 को ग्राम पंचायत बाडमेर गाडान के ग्राम सभा का अधिवेशन सरपंच श्रीमती मीरा देवी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि खान नं० 2684/2195 व खान नं० 3147/2195 रकबा 0.0495 हेक्टरों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० के प्रस्तावित पेट्रोलपम्प रिटेल कंडरेलेट के लिए आने एवं जाने के लिए उपभोग में आने वाली वन कूटि पर कुडकूतित जनजाति एवं पारंपरागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त शक्ति पर वनाधिकार का कोई दावा लक्षित कथका प्रतिकूल नहीं है एवं कूटि जनजाति सभ्य एवं पारंपरागत वन निवासी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस प्रस्ताव को ग्राम सभा में उपस्थित 6 वरिष्ठ सदस्यों ने विचार-विमर्श का सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया।

उक्त प्रस्ताव केवल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० के द्वारा प्रस्तावित शक्ति नं० 2684/2195, 3147/2195 रकबा 0.0495 हेक्टरों के लिए ही मान्य होगा।

सजय प्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

(नयतकरण)  
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाडमेर गाडान  
ग्राम पंचायत आटी पंचायत समिति बाडमेर

(मीरा देवी)  
सरपंच



कार्यालय पंचायत समिति बाड़मेर (राज.)

क्रमांक: पसबा / पंचायत / 2022 / 2933

दिनांक: 24/10/2022

प्रेषित:-

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद बाड़मेर।

विषय:-

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत।

प्रसंग:-

श्रीमान अपर कलेक्टर बाड़मेर के पत्रांक: प.12(12)(1)राजस्व/2020/ 3378  
दिनांक:- 28.04.2022 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान के पत्र क्रमांक: ग्रापं बाड़मेर गादान/सामान्य/2022/ 72 दिनांक 19.10.2022 द्वारा दिनांक 02.10.2022 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या:- 02 (प्रस्ताव पत्र संलग्न अनुसार) में खसरा संख्या 2684/2195 व 3147/2195 रकबा 0.0495 हैक्टेयर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के प्रस्तावित पेट्रोलपम्प रिटेल आउटलेट के लिए आने व जाने के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है एवं अदिम जनजातीय समूह एवं परम्परागत वन निवासी प्रभावित नहीं हो रहा है।

ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र संलग्न कर श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- ग्राम सभा प्रस्ताव प्रतिलिपि (प्रस्ताव सं.- 02)

(सुरेश कवियों) BRDS

विकास अधिकारी

पंचायत समिति बाड़मेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

पंचायत समिति बाड़मेर  
उप वन सरक्षक  
बाड़मेर

3317

23/10/22

ग्राम पंचायत वाडमेर गाडान प.स. वाडमेर  
क.स. वाडमेर गाडान/ता.वाडमेर/2024/72 दिनांक 19/10/24

पंचायत

21/10/24

प्रेषितः

श्रीमान् विकास अधिकारी  
पंचायत जमिनि, वाडमेर

विषयः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरागत वन-  
निकासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006  
के तहत प्रमाण पत्र जारी कवाने बाबत  
महोदयजी

उपरोक्त विषयात्गत निवेदन है कि -

ग्राम पंचायत वाडमेर गाडान के राजस्व गृह वाडमेर-  
गाडान के ख.नं 2684/2195, 3147/2195 रकबा  
0:0495 हेक्टर प्रयोग पेट्रोल पम्प हेतु आपके द्वारा  
न्याही गई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरागत वन  
निकासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी कवाने  
के संबंध में ग्राम जमा द्वारा प्रस्ताव की कार्यवाही कार्य  
गई थी जो सुलभ का उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान् जी की  
सेवा में प्रेषित है।

(सजय प्रकाश भादु)  
रूप वन संरक्षक  
वाडमेर

(नरसकरण)  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत आदी  
पं. स. वाडमेर

मीरा  
(मीरा देवी)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत वाडमेर गाडान  
पंचायत समिति वाडमेर

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)" हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त होने ही संलग्न कर दिया जायेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

सजय प्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक  
जोधपुर

Praveen Kumar  
Chief, Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Bikaner(Lunkaransar)/6571(1)/2021-2022/401-402

Order No : 2021-2022/Bikaner/9442

From :

Date : 12/07/2021

Regional Officer[ Bikaner ]

Rajasthan State Pollution Control Board,

33, Phase-II, Bichwal Industrial Area, Bikaner

To,

M/s PARIHAR PETROLEUM (UnitID:113026)

CHAK 2 BHM TEH LOONKARANSAR BIKANER , LOONKARANSAR Tehsil:Lunkaransar

District:Bikaner

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 25/06/2021 of your application dated 25/06/2021 for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **HPCL** under section of 21 of the **Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** having capital cost of the project Rs. **24.00 Lacs** duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. **3,000.00** and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under section of 21 of the **Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** ,to **Consent to Establish** your industry at **CHAK 2 BHM TEH LOONKARANSAR BIKANER LOONKARANSAR Tehsil:Lunkaransar District:Bikaner** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Lubricating oils, greases or petroleum based products (only blending at normal temperature)** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

सजय प्रकाश भादू  
उप वन सरक्षक  
बाइनेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prama Lal Raigar  
Date: 2021.07.12 18:16:57 IST  
Reason: SelfAttested  
Location:



**Specific Condition :**

- 1 A. That this Acknowledgement is being issued for dispensation of petroleum products: 1450 Liter/day.
- B. That the industry shall not discharge treated trade or domestic effluent or establish water treatment facility without obtaining prior Consent to Establish and/or consent to operate from the State Board under the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- C. The applicant/Industry/Process/Project shall have to comply with the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and the standards prescribed there under along with the general guidelines and/or direction issued by the Central Pollution Control Board or the Rajasthan State Pollution Control Board time to time.
- D. That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority.
- E. That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/ industry/ process/ Project. The liability of veracity and correctness of the uploaded documents/ information shall solely be of the applicant only.
- F. In case, any direction for closure has been issued by the state board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgement shall not be considered as Consent, in any case and shall be treated null and void.
- G. Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this acknowledgement null and void.
- H. That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/ process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
- I. That submission of any incorrect/partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/ project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, information technology Act, 2000, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of statutes.
- J. This acknowledgment of consent application will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- K. That this acknowledgment of consent application is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Laws / Acts / Rules as applicable.
- L. That the industry shall not dispose of waste materials outside the premises to avoid any possible nuisance to nearby inhabitants. Such waste material shall be collected at one place and shall be disposed off in safe manner.
- M. That the industry shall ensure that noise from the unit does not exceed the prescribed noise standards for industrial area i.e.  
75 dB (A) Leg during day time and  
65 dB (A) Leg during night time  
to meet the prescribed ambient noise standards. Day time is reckoned between 6 AM to 10 PM and night time is reckoned between 10 PM to 6 AM.
- N. That industry shall furnish quarterly compliance report of consent conditions to the Regional Office, Bikaner.
- O. That the unit shall obtain authorization under HWMR, 2016 (as applicable) within one month of date of issue of this acknowledgement.

सजय प्रकाश भाट्ट  
रूप वन सरक्षक  
बाजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prerna Lal Raigar  
Date: 2021.07.12 18:16:57 IST  
Reason: SelfAttested  
Location:



- 2 A. That the Fuel Outlet (Petrol Pump) shall comply with the guidelines issued by CPCB vide their letter Office Memorandum no. B-13011/1/2019-20/AQM/10802-10847 dated 07.01.2020.
- B. That the Fuel Outlet (Petrol Pump) shall not add any machinery other than following without prior consent from the Board:
- MPD Machine: 02 Nos.  
Air Compressor: 01 Nos.  
Water Cooler: 01 Nos.  
Automation: 01 Nos.  
Silent DG Set: 01 Nos

This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

1 Master File.

Regional Officer[ Bikaner ]

Regional Officer[ Bikaner ]

  
प्रजय प्रकाश भादू  
रूप वन संरक्षक  
राजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prama Lal Raigar  
Date: 2021.07.12 12:16:57 IST  
Reason: SelfAttested  
Location:



**Condition No.11**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा “Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)” के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

सजय प्रकाश भा  
रूप वन सरक्षक  
बाडमेर

## Condition No.12

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा CA (DFL) राशि ₹. 1,03,600/- UTR/REF NO. 428698129 DATED: 21-03-2023 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

सजय प्रकाश भादू  
वन वन संरक्षण  
साक्षर



## Condition No. 13

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा NPV राशि **रु. 29,151/- UTR/REF NO. 428698129 DATED: 21-03-2023** के कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

सिजय प्रकाश भादु  
उप वन संरक्षक  
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

Phone No.: 02982-220442

E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.( )तक./उवसं/2022/3430

दिनांक : 19/5/2022

निमित्त

उप प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
जोधपुर रिटेल क्षेत्रीय, भगत की कोठी, डिजल शेड रोड,  
जोधपुर-342005

राशि मांग पत्र

प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Diversion of 0.0435 ha. of Forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited for Construction of Approach Road Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Barmer-Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No. F-8/90A/2013/15164) Chainage:157.766 to 157.786 At village-Barmer Gadan, Tehsil Barmer, District Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/APPROACH/146453/2021)

- सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(20)वन/2022 जयपुर, दिनांक 07.03.2022
- वन्यजीव स्वीकृति का विवरण :
- प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि का विवरण (है0): 0.0435 ha.

| Category  | Reserved Forest | Protected Forest | Un-Classed Forest | Deemed Forest | Others | Total  |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|--------|--------|
| Area (ha) |                 | 0.0435           |                   |               |        | 0.0435 |
|           |                 |                  |                   |               |        |        |

- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण

| Category  | Non Forest Land | Degraded Forest Land | Total |
|-----------|-----------------|----------------------|-------|
| Area (ha) |                 | 0.50                 | 0.50  |
|           |                 |                      |       |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे :

| स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक | अधिरोपित शर्त विवरण (स्वीकृति में अंकित शर्त का लिखें)   | मांग राशि का मद | क्षेत्रफल (है0)/संख्या/ मात्रा | दर/ गणना सूत्र           | राशि   | राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण   | वि. वि. |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------|---|---------|
| 1                                  | 2  | 3               | 4                              | 5                        | 6      | 7   | 8       |
| 13                                 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/ 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र | NPV             | 0.0435 ha                      | Eco class- IV = 6,70,140 | 29,151 | वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान |         |

सिजय प्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

|    |  |                                 |      |   |        |  |
|----|--|---------------------------------|------|---|--------|--|
|    | 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। |                                 |      |   |        | द्वारा   |
|    |  | C.A. (NFL)                      |      |   |        |  |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।  | C.A. (DFL)                      | 0.50 | 100 plants प्रति दिवस मजदूरी दर 252 / रु. | 100800 | वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा |
|    |  | Medicinal Plants / dwarf plants |      |   |        |  |
|    |  | Penal CA                        |      |   |        |  |
|    |  | Penal NPV                       |      |   |        |  |
|    |  | Safety                          |      |   |        |  |


सजय प्रकाश भादू  
उप वन संरक्षक  
बाबूमे

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Zone   |  |  |  |  |
|  |  | Inner Boundary                                   |  |  |  |  |
|  |  | Outer boundary                                   |  |  |  |  |
|  |  | Cost of survey, demarcation and boundary pillars |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 time safety zone DFL                         |  |  |  |  |
|  |  | Cost of tree cutting                             |  |  |  |  |
|  |  | Muck Disposal                                    |  |  |  |  |
|  |  | Others   |  |  |  |  |

इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये समस्त निर्देशों की बिन्दुवार पालना करें। साथ ही कुल राशि (100800+29151=1,29,951) उक्त राशि शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक 11 भूतल सी. जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली 11003 के तदर्थ में वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा जमा करवाकर पावती रसीद इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न:- सैद्धान्तिक स्वीकृति।

  
 (संजय प्रकाश भादू)  
 उप वन संरक्षक  
 बाड़मेर

भवदीय  
  
 (संजय प्रकाश भादू)  
 उप वन संरक्षक  
 बाड़मेर

फोन/फैक्स नं.-02982-220442

क्रमांक: एफ ( )तक./उवसं/2022/8506

निमित्त

E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक : 5-12-2022

उप प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
जोधपुर रिटेल क्षेत्रीय, भगत की कोठी, डिजल शेड रोड,  
जोधपुर-342005

विषय : Diversion of 0.0435 ha. of Forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited for Construction of Approach Road Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Barmer-Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No 2684/2195 & 3147/2195 (Patta No.F-8/90A/2013/15164) Chainage:157.766 to 157.786 At village-Barmer Gadan, Tehsil Barmer, District Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/APPROACH/146453/2021)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(20)वन/2022 जयपुर, दिनांक 07.03.2022 व अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.14(487/42)2021/एफसीए/प्रमुवसं/1100-1101 दिनांक 28.03.202 व इस कार्यालय का पत्रांक 3431 दिनांक 19.05.2022 एवं राशि मांग पत्रांक 3430 दिनांक 19.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी सैधान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3431 दिनांक 19.05.2022 से मांग पत्र जारी किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर रुपये 252/- रुपये से बढ़ाकर 259/- प्रतिदिन कर दी गई है जिसके कारण बढी हुई दर से अन्तर की राशि जमा करवाई जानी है। जो निम्नानुसार राशि जमा करावे :-

| क्र.सं       | साईट का नाम                     | पूर्व में (@ 252 प्रति मानव दिवस की दर से) | वर्तमान मांग राशि (@ 259 प्रति मानव दिवस की दर से) | वि.वि. |
|--------------|---------------------------------|--|--|--------|
| 1.           | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (DFL) CA | 100800                                     | 103600   |        |
| 2.           | NPV                             | 29151                                      | 29151  |        |
| <b>Total</b> |                                 |  | <b>1,32,751</b>                                    |        |

उक्त कुल (103600+29151=1,32,751) राशि जरिये वेबपोर्टल OSMFCP द्वारा सृजित ई-चालान से ऑन-लाईन द्वारा जमा करावा कर (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) इस कार्यालय को प्रेषित करावे, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी सैधान्तिक स्वीकृति में दी गई समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(संजय प्रकाश भादू)  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

क्रमांक: एफ ( )तक./उवसं/2022/8507-08

दिनांक : 5-12-2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर राजस्थान।
- संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर।

Duly Constituted & Approved  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

उप वन संरक्षक

## NEFT RTGS CHALLAN

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

एन एम एन एन एन A Government of India Undertaking



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2023

|                  |   |
|------------------|---|
| Agency Name.     | Hindustan Petroleum Corporation Limited   |
| Application No.  | 70146453950   |
| MoEF/SG File No. | 1(20)FOREST/2022  |
| Location.        | RAJASTHAN   |
| Address.         | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED ,<br>Jodhpur Retail Region,<br>Bhagat ki Kothi Diesel shed<br>Road,JodhpurJodhpur |
| Amount(in Rs)    | 132751/-  |

Amount in Words :One Lakh Thirty-Two Thousand Seven Hundred and Fifty-One Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |   |
|----------------------|---|
| Beneficiary Name:    | RAJASTHAN CAMPA   |
| IFSC Code:           | UBIN0996335   |
| Pay to Account No.   | 1508570146453950<br>Valid only for this challan amount.   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre,21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

एन एम एन एन एन A Government of India Undertaking



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2023

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | Hindustan Petroleum Corporation Limited  |
| Application No.  | 70146453950  |
| MoEF/SG File No. | 1(20)FOREST/2022   |
| Location.        | RAJASTHAN  |
| Address:         | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED ,<br>Jodhpur Retail Region,<br>Bhagat ki Kothi Diesel shed<br>Road,Jodhpur Jodhpur |
| Amount(in Rs)    | 132751/-   |

Amount in Words :One Lakh Thirty-Two Thousand Seven Hundred and Fifty-One Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | RAJASTHAN CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0996335  |
| Pay to Account No.   | 1508570146453950<br>Valid only for this challan amount.  |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

सजय प्रकाश भाट्ट  
कंप वन सरक्षक  
नाडमेर

# Transaction Confirmation



Transaction with reference id 428698129 processed successfully.

Transaction Number: 428698129  
Account Number: 8769002100000458  
Branch Name: RAJSTHAN  
Bank Name: UNION BANK OF INDIA  
Account Type: UBIND996335  
Amount: INR 1,32,751.00  
Date(dd/MM/yyyy): 21/03/2023

Save As: PDF file  OK New Transaction

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

सजय प्रकाश भादु  
उप वन सरक्षक  
बाइमेर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

| Sno. | Proposal Detail   | Application_No                     | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid / Amount Paid  | Payment Status | Payment Detail   | Demand Letter   |
|------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|--|---|
| 1    | FP/RJ/Approach/146453/2021<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/146453/2021)<br>Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khadra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patra No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to 157/786, At Village - Barmer Gaidan Tehsil & District - Barmer(Rajasthan) | APPROACH14645320219507014645395007 | 7014645395007        | 07 Mar 2022          | CA: 103600/-<br>Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/-<br>CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>NPV: 29151/-<br>Other Charges : 0/-<br>Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 132751/- | PAID           | Fund Demand Verified by : 08 Mar 2023<br>Nodal Officer<br>On<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 11 Mar 2023<br>Transaction Date : 22 Mar 2023 | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/040320230728459373_FPRJApproach1464532021_User_Fund_Demanded_87580.p<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1464532021950) |

SWACHH BHARAT (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)  
(HTTP://WWW.NIC.IN/)

MY GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

INDIA (HTTPS://DATA.GOV.IN/)

INDIA.GOV.IN

Constituted Attorney  
Regional Manager

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (ContactUs.aspx)

संजय प्रकाश भादू  
रम वन संरक्षक  
बाजमेर

https://forestclearance.nic.in/UserAccount/Payment\_history.aspx



**Condition No. 14**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jodhpur**

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Condition No. 15**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jodhpur**

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  
  
Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

  
सजयप्रकारा  
सप वन सर  
साक्षर

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

**Condition No. 16**

**Full title of the Project:** Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)

**Proposal No** : FP/RJ/Approach/146453/2021

**Date of Proposal** : 31.08.2021

**Proposed Diversion Area:** 0.0435 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि “Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (Old NH-15) RHS on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village - Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer (Rajasthan)” हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jodhpur

**Date:**

Duly Constituted Attorney  
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  
  
Praveen Kumar  
Chief Regional Manager-Retail

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

  
राजेश प्रकाश  
जय वन सरंक्षक  
बाड़मेर

प्रशासन का पुनर्गठन का समझान का अपना इकाई का सम्वाधत कथा यास किया तथा बस्ती के लोगो का तथा शिविर की रूपरेखा को विस्तार से प्रक्षा एवं स्वास्थ्य के महत्व के बारे समझाया।

### चैंपियनशिप के लिए प्रवीण कुमार का चयन

जालोर, (राज.)। राष्ट्रीय स्मैश रैकेट चैंपियनशिप में जालोर के प्रवीण कुमार का चयन हुआ। खिलाड़ी अरुण कुमार मेघवाल ने बताया कि जयपुर में आयोजित ने वाली दूसरी राष्ट्रीय स्तरीय स्मैश रैकेट प्रतियोगिता के लिये जालोर लाल पोल वासी प्रवीण कुमार मेघवाल पुत्र सकाराम मेघवाल का चयन अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन ने वजह से हुआ है प्रवीण 15 से 17 मार्च तक चौगान स्टेडियम में आयोजित ने वाली राष्ट्रीय स्मैश रैकेट प्रतियोगिता में अपना दमदम दिखाएंगे।

### उत्तर पश्चिम रेलवे ई-ऑक्शन आरम्भित

वत के रुन्दन में स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड के ठेके हेतु ई-ऑक्शन आरम्भित की गई है। इंटर्लॉग IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं।

| लॉट नं.       | ठेके के प्रकार             | लोट नं.                    | स्टेशन का नाम   | खुलने का समय / दिनांक और ठेके की अवधि            |                            |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|
| PARKING-JU-18 | वाहनों के लिए पार्किंग लोट | PARKING-JU-NAC-MX-32-22-1  | नवा सिटी        | 29.03.2023 को 12.00 बजे से ठेके की अवधि: 03 वर्ष |                            |
|               |                            | PARKING-JU-OSN-MX-31-22-1  | ओरिया           |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-MMC-MX-30-22-1  | महामंदिर        |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-KMNC-MX-33-22-1 | कुचामन          |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-BGKT-MX-41-23-1 | भगत की कोठी     |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-UTL-MX-36-22-1  | उत्तरलई         |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-LAU-MX-27-22-1  | लाउनु           |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-REN-MX-18-22-1  | रेन             |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-DON-MX-24-22-2  | धनेर            |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-SUJH-MX-25-22-1 | सुजानगढ़        |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-BANE-MX-14-22-1 | बासनी           |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-POK-MX-29-22-1  | पोकरग           |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-MON-MX-21-22-1  | मोदवार          |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-MKSR-MX-22-22-1 | मोकलसरा         |  |                            |
|               |                            | PARKING-JU-JU-MX-7-22-2    | जोधपुर - आरक्षण |  | 29.03.2023 को 12.00 बजे से |
|               |                            | PARKING-JU-JU-TW-6-23-1    | जोधपुर-मुख्य    |  | ठेके की अवधि: 08 महीने     |
|               |                            | PARKING-JU-JU-FX-9-23-2    | जोधपुर-मुख्य    |  |                            |

माना राशी: बोली के मूल्य का 5%; सम्पादित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-आरआईएस वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-ऑक्शन लौजिंग नॉकआउट देखें। विवरण उसमें उपर्युक्त कैटलॉग नंबर के तहत उपलब्ध है। 251-AN/23

### आरम्भित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

**आरम्भित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक**  
शाखा-पाली (राज.)

**सार्वजनिक नीलामी सूचना**

साधारण के सूचित किया जाता है कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की पाली शाखा द्वारा दिवे मये अधिकृत करने के लिए नई-अनुसंध के अनुसार पुनर्गठन ना करने के कारण सम्पादित दोषी ऋणी का कार्यालय हेतु नई-अनुसंध का निर्धारण किया गया है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

1. दिवे के कारण बैंक द्वारा वाहन जप्त की कार्यवाई की गई है। दोषी ऋणी जमा करने में असमर्थ होने के कारण बैंक द्वारा वाहन जप्त की कार्यवाई की गई है। दोषी ऋणी जमा करने में असमर्थ होने के कारण वाहन जप्त की कार्यवाई की गई है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए सम्पादित शाखा या मरुधरा: 9314668454, 9783773111 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

| ऋणियों का नाम व पता   | शाखा नाम    | वाहन का प्रकार तथा पंजीयन क्रमांक            | आरक्षित मूल्य घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि      |
|---|-------------|--|--|
| शंभा अली सोदा पुत्र श्री प्रकाश खान, पता- इन्द्रा जौनी, पाली (राज.) | पाली (राज.) | Hyundai Motor Venue 12KAPPAMTE RJ-22-CC-0302 | ₹. 5,10,000 /-<br>₹. 51,000 /-<br>₹. 10,000 /- |

नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-  
नीलामी में बोली लगाने वाले व्यक्ति को घरोहर राशि की 10 प्रतिशत राशि के रूप में डीडी बनाकर जमा करने होगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम राशि प्रस्तावित करने वाले को बैंक द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी। नीलामी की 25 प्रतिशत राशि उसी समय के रूप में जमा करानी होगी। शेष राशि नीलामी के 7 दिवस के भीतर शाखा में जमा करवाने पर वाहन का कब्जा दिया जा सकेगा। यदि अवधि में जमा नहीं कराने पर पूर्व में जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी। 2. नीलाम किये जा रहे वाहन से प्राप्त किये गये राशि का उपयोग निम्नलिखित में ही होगा। 1. वाहन के पंजीयन एवं हस्तांतरण कराने आदि सम्बन्धित व्यय एवं अधिकृतताओं की पूर्ति को निम्नलिखित बोली छुड़ाने वाले को होगी। 3. नीलामी में डीडी दोल स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शाखा प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा। नीलामी दिनांक 05/04/2023 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक नीलामी स्थल राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा-पाली पर सार्वजनिक नीलामी की जायेगी। 4. इस सूचना द्वारा सम्पादित दोषी ऋणियों/जमानतदारों को भी सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व ऋण राशि 722.988/- रुपये तथा ब्याज व खर्च जमा करवाकर नीलामी की जायेगी। इस सूचना से अथवा अपने साथ आने वाले व्यक्ति को जमा करने वाहन का उचित मूल्य प्राप्त करने की सुविधा कर सकते हैं। इसको 15 दिवसीय नोटिस भी समाप्त जाये।

शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक  
शाखा - पाली (राज.), फोन नं. 9894569744.  
निम्न: 15/03/2023  
पता: पाली (राज.)  
अधिकृत एजन्सी:- राजवंशी एचएसआईएस एनकोर्समेन्ट कन्सल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड  
मो. 9314668454, 9783773111

नदती रोड, बैनार, जोधपुर 342027 (राजस्थान)  
फोन 7230010459  
ई-मेल legal@paisalo.in

### कब्जे की सूचना

(अन्तर्गत नियम 8(1) एवं (2) अचल सम्पत्ति को लिये)

अधोस्ताहरकर्ता ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते दिवसीय अस्थायी का प्रतिनिधित्व एवं पुनर्गठन और प्रतिनिधित्व हेतु की प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) तथा प्रतिनिधित्व हेतु (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) संघटित (नियम 3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आज ऋणी श्री रतन सिंह राठौर पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी काधार नगर, हिलीय फेज, बासनी, जोधपुर - 342005 (राज.) व गारुडस श्रीमती कोशल्या कंधर पत्नी श्री रतन सिंह निवासिनी 277, इत्यादि निवासी का कुंआ, पीडवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर - 341303 (राज.) श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री मन्वी सिंह निवासी 40 हीरासाणी, तहसील जालोर, जिला नागौर-341520 (राज.) व श्री नरेश सुखर पुत्र श्री प्रेम सुख सुखर निवासी मोरणा कर्ली, न्यू पाटी रोड, जोधपुर - 342802 (राज.) के विरुद्ध ऋणी/ गारुडर/ प्रतिनिधि प्रदाता होने के नाते नोटिस दिनांक 30.07.2022 जारी किया था जिसमें उल्लेखित दिनांक 11.04.2022 तक बकाया राशि ₹ 2,00,69,498/- (रुपये दो करोड़ उनहत्तर हजार चार सौ अठाने मात्र) एवं दिनांक 11.04.2022 से निर्धारित दिल्भ शुल्क तथा प्रतिदिन के आधार पर देय अन्य आकस्मिक खर्च, लागू शुल्क इत्यादि सहित और उक्त के पश्चात् भुगतान की दिनांक तक नोटिस की तारीख से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने का निवेदन किया गया था। अमजल के यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रेषित डिमाण्ड नोटिस दिनांक 30.07.2022 जिसमें उल्लेखित धनराशि के ऋणधारी एवं गारुडर/ गारुडर द्वारा पूर्णरूप से भुगतान करने में विफल होने पर अधोस्ताहरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (3) के उपधारा 4 संघटित नियम 8 प्रतिनिधि हेतु (प्रवर्तन) नियम 2002 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति पर दिनांक 13.03.2023 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है। एतद्वारा उक्त ऋणधारी एवं गारुडर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को आमतौर पर सूचित किया जाता है कि वह निम्न लिखित कब्जाशुद्ध सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार लेन-देन न करे। कब्जाशुद्ध सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन दिनांक 11.04.2022 तक संश्लो डिजिटल लिमिटेड के रु. 2,00,69,498/- (रुपये दो करोड़ उनहत्तर हजार चार सौ अठाने मात्र) के प्रभार के अन्तर्गत होगा। यह धनराशि संविदात्मक ढंग पर इस धनराशि पर दैनिक आधार पर आने की ब्याज आकस्मिक व्यय लागू तथा खर्च आदि को छोड़ कर है। प्रतिनिधि/शुद्धादा सम्पत्तियों को भुगतान के लिये उपलब्ध सम्पत्ति के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 13 (3) के उपधारा 8 के प्रवधानों की अंतर्गत् ऋणधारी व गारुडर का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह सूचना हमारी कंपनी को उपलब्ध कियी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

| क्र.सं. | सम्पत्ति स्वामी | सम्पत्ति विवरण  | सम्पत्ति की सीमाएँ   |
|---------|-----------------|---|--|
| 1       | रतन सिंह राठौर  | एक किता आवासीय मकान स्थित मं.नं. 339, सेक्टर- ए सरस्वती नगर योजना, बासनी, जोधपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज यानि 167.22 वर्गमीटर        | पू- प्लॉट नं.0 340, पू- प्लॉट नं.0 338, उ- प्लॉट नं.0 322, द-0 30 फीट चौड़ा सास्ता           |
| 2       | रतन सिंह राठौर  | जमीन स्थित खसरा नं. 462, ग्राम मोरणा कर्ली, हल्का गुड, भैरोंडीयान, तहसील लूनी, जिला जोधपुर क्षेत्रफल 1 बीघा, 5 बिस्वा, 5 बिस्वासी | पू- जमीन खसरा नं.0 463, उ- जमीन खसरा नं.0 461, उ- जमीन खसरा नं.0 463, द-0 जमीन खसरा नं.0 463 |

दिनांक: 13.03.2023  
स्थान: जोधपुर  
दीपक निवासी (प्रधिकृत अधिकारी)  
पैसालो डिजिटल लिमिटेड

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (20) वन / 2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जोधपुर।  
जयपुर, दिनांक- 07 Mar 2022

विषय: Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer - Sanchor Road NH-68 (RHS) on Kharsa No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to 157/786, At Village Barmer Gadan Tehsil & District Barmer(Rajasthan). (FPI/RJ/Approach/146453/2021), संदर्भ: - आपका पत्रक 154 (487/42) 2021 / एफसीए / प्रमुख / 420 दिनांक 25.01.2022, महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संघटित प्रस्ताव अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के मं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण तहत धारा-2 में एन. एच- 68 (RHS) स्टोन के खसरा नम्बर 2684 / 2195 एवं 3147 / 2195 (पट्टा संख्या एक 8/90/2013 / 15164) Chainage 157 / 766 to 157/786 ग्राम बाडमेर गांधान, तहसील एवं जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निष्कास हेतु 0.0435 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटअ अधीकार वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरता प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिचय में Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer - Sanchor Road NH-68 (RHS) on Kharsa No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157 / 766 to 157/786, At Village- Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer(Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न तः के अध्यादेश प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. यावक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान अस्त पत्र के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी व जीव संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को दूधो को वन विभाग की बिना पुनर्निर्माण के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल व बायोके के आस-पास जड़वृक्ष/स्टाक के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाक को रसाई नूत/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती पत्तों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान पत्तों/पत्थर काटने या धरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश निष्कास मार्ग के दोनों ओर पिकपडे स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग नहीं लगाये एवं उन्हे सुरक्षित करने में किया जाएगा यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एक, आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करवाये। तदीयान्तर्गत् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रत्येक विषयगत मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करवाये। 11. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुल्क से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का वन पुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान धरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-वालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विधिवत (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए अधिस्तापनाशुद्ध वर्धनान्तरण (वनपी.सी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुसूचित के अनुसार शुद्ध वर्धनान्तरण मूल्य तथा सभी सभी निधियां प्रतिनिधि रोषारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निष्कास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुचित ई-वालान द्वारा जमा करानी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-वालान की छापा प्रिंट, छापा की गारंटी धनराशि का बैंक बकाया/वृत्तीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छापा प्रिंट सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अन्तर्गत आयेगा जिसमें पत्तों का गार्ंटी राशि का मन्व्यार विवरण हो प्रेषित की जाए, तद्योपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अधिकरण इस आश्चय का बचबहादता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि संरक्षण स्तर से यदि एन.पी.सी. की धरों में कटौती होती है तो बडी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकता। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रधान डिप्टिनट द्वारा दिनांक 11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति जो धरत एवसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पर न अंतरा: प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतिस्थापनीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्रारंभ के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कथना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (श. प्रवीण), वाहन संरक्षक

संजय प्रकाश भास्कर  
वन वन संरक्षक  
बाडमेर

The headmaster of a government school in Rajasthan arrested on Tuesday for reportedly touching a girl s, police said. accused, Bhagwan Singh education department after a police case registered against him. arrest came following statements of four

ED SCHOOL MASTER UNDER POLICE

People and condemns meeting, Shekhpura tribal community has driving the BJP to power than with a "massive while, Kirori has been undergoing the the hospital, Jaipur, after the police manhandling, was AIMS Delhi on Tues- about the incident, he was hospitalised and knowledged about the He refused to comment in this issue. against the protest on Pils and BPP MPs Kir- teena and Ranjita Koli, supporters had petitioned the police, damaged the articles and broke down during the protest. live on the official Face- of Dr Meena. Interest- ed video footage has now er from Meena's Face- ment, Congress spokes- Swarnim Chandra- the BPP's protest on

NEW DELHI THURSDAY MARCH 16, 2023

that the state ranks third in the country in providing daily water connections under the mission. so that work can start on the ground soon," he said. The chief minister also warned of "strict

any delay in getting the work done provide 8000 connections per day on an average in March."

the informati Official's sta in the absence ments, aroun getted benefici the benefi Officials claim filment of req no applican an eligible ben As per the d eligible benefi IGMPY, applic vide document haar card, bani and some other But official da around 50% a failed to provi details due t

**DELHI JAL BOARD, GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**  
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (SDW) C/O  
EXECUTIVE ENGINEER(SDW)-III STP YAMUNAVIHAR  
WAZIRABAD ROAD DELHI-110053  
Email: eesdw3.djb@nic.in

**Press Tender Notice - NIT No. 16 (2022-23)**

| S. No. | Description of work  | Amount Put to Tender | Tender/Fee (in Rs.) | EMD (in Rs.)   | Date of release of tender in e-procurement solution | Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution |
|--------|--|----------------------|---------------------|--|---|--|
| 1.     | Rehabilitation/Up-gradation of 12.5 MGD SPS at Ghonda-I (on DBO Basis with 12 years O&M including 2 years DLP) Delhi. Tender I.D No. 2023_DJB_238080_1 | Rs. 16,85,06,151/-   | 1500/-              | Rs. 26,90,000/-<br>(Rs. 20,00,000/- through RTGS and Rs. 6,90,000/- in the form of Bank Guarantee from any Scheduled bank) | 13.03.2023  | 06.04.2023 at 03.00 PM   |

For further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>  
ISSUED BY P.R.O. (WATER) "STOP CORONA: WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAINING HAND HYGIENE"  
(Bhushan Verma)  
Exe. Engineer (SDW)-III

**Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR**  
निविदा सूचना/2022-23

निम्नलिखित कार्यों के लिए केंद्र/स्थल सरकारी के अधिनस्थ/की विभाग एवं उनके अधिनस्थ संरक्षकों से संबंधित प्रथम में ई-प्रोसेसिंग प्रणाली में अनुसंधान निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

| कार्य का विवरण  | अनुमानित लागत (₹.) | निविदा सूचना संख्या  |
|---|--------------------|----------------------|
| SITC of Various Elevators at Medical College, Karauli. UBN:RRC2223WS0801266 | 260.30 Lakh        | अनुसंधान ई-604/22-23 |
| Const. of New IPD Tower at Janana Hospital, Jaipur. UBN:RRC223VLO0801263    | 4611.00 Lakh       | ई-605/22-23          |
| Const. work at Physical Education College, Jodhpur. UBN:RRC223VLO0801271    | 558.00 Lakh        | ई-609/22-23          |
| Const. work at G.W.D. Regional Office, Chokha, Jodhpur. UBN:RRC223WS0801272 | 299.72 Lakh        | ई-610/22-23          |

निविदा से सम्बंधित प्रश्न में निविदा सूचना, धारकता, प्रस्तावित कार्य व खोजने की तारीख संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित वेबसाइट <http://proc.raajasthan.gov.in>, <http://apps.raajasthan.nic.in> पर या <http://roads.raajasthan.gov.in/rsrdc> पर वेब पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। ई-प्रोसेसिंग प्रणाली को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट <http://proc.raajasthan.gov.in> पर निविदाई करवाना आवश्यक है।

**राजस्थान सरकार वन विभाग**

क्रमांक: प. 1 (20) वन / 2022

विषय: प्रथम मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer - Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 एवं 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to 157/786, At Village Barmer Gadan Tehsil & District Barmer(Rajasthan). (EP/RJ/Approach/146453/2021), संदर्भ :- आएका पत्रांक एच 14 (487/42) 2021 / एकसीए / प्रमुख / 420 दिनांक 25.01.2022, सहयोग, उपरोक्त विषयवस्तुगत संदर्भित प्रस्ताव अधिनियम 1990 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण तहस्त घाटा -2 में एन. एच. 68 (RHS) स्ट्रीट के खसरा नम्बर 2684 / 2195 एवं 3147 / 2195 ( पट्टा संख्या एच 8 / 90 / 2013 / 15164) Chainage 157 / 766 to 157/786 ग्राम बाणेश्वर गावान, तहसील एवं जिला बाणेश्वर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0435 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1990 के अन्तर्गत घाटा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer - Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8 / 90A / 2013 / 15164) Chainage 157 / 766 to 157/786, At Village-- Barmer Gadan Tehsil & District - Barmer(Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिना किरी वृक्ष के पालन सहित भिन्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के दौरान निर्दिष्ट / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखवाय के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। 5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ परिरक्षण होने पर वन विभाग के होंगे। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को कोई भी नैस / केरोसिन तेल आगुत्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती घरों को क्षति न हो। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान निर्दिष्ट / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर तिरक पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करवेगा। 11. तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रबंधन नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करवेगा। 13. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का मुक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। 15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-थालान द्वारा जमा की जायेगी। 16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 - एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निश्चित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा वृक्षों सभी निधियों प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-थालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-थालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक थालान / यूपीआर संख्या / एनईएफडी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धरो में बदोती होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7 - 23 / 2012 / एकसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रीम डिप्युनल द्वारा दिनांक 07. 11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को सूक्ष्म रजिस्ट्री सिस्टी एवं ऑनलाइन में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (जी. प्रवीण), शासन सचिव

**HT Classified**

**EDUCATION / ADMISSIONS**

**CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE**  
VELLORE, TN - 632 002 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

**ADMISSIONS NOTICE 2023**

**Group A :** MBBS, B.Sc., Nursing - Vellore campus. B.Sc., Nursing - Chittoor campus and Allied Health Sciences (AHS) Degree Course

**Group B :** Diploma in Nursing, AHS Diploma Course, AHS PG Diploma courses, M.Sc Bio Biostatistics, Medical Physics, Epidemiology, Nutrition & Nuclear Medicine Technology. (Master of Public Health), MHA (Master of Health Administration), MPT (Master of Physiotherapy) Fellowships in Antimicrobial Stewardship for Clinicians, Hospital Quality Management (C) & Hospital Chaplaincy.

**Certificate courses & Post-Doctoral Fellowship Course**  
M.S. Bioengineering Course

The last date for online application submission for Group A & B and MS Bioengineering courses payment is 3rd April 2023 and Certificate & courses is 5th April 2023.

For more details refer Admission Bulletins available at CMC, Vellore website <http://admission.cmcvellore.ac.in>

**Important Information:** The admission procedure contained in the Bulletins shall be subject to any order that maybe passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Court / any other statutory enactments may be passed by the Central or State Government.

REGISTRAR

**COLLEGE OF NURSING**  
VELLORE, TN - 632 004 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

**M.Sc., Post Basic B.Sc., Post Basic Diploma in Nursing**  
Fellowship in Nursing Programmes Admissions: 2023 - Application form can be accessed & submitted only through the College website till 3rd April 2023

Please refer to Admission Bulletin (available at our web for course details, eligibility criteria etc.)

**PUBLIC NOTICE**

The General Public are CAUTIONED not to be misled by any person offering admission to any of the courses conducted by CMC Vellore. The college will not be responsible for any candidates or persons dealing with such person / persons. Civil and a criminal court proceeding will be taken against any person who holds out promises and uses the institutions intellectual properties.

**PLEASE NOTE: WE DO NOT ADMIT STUDENTS THROUGH AGENTS OR AGENCIES.**

CMC VELLORE ADMINISTRATION